2 mb (6)

संख्याः– 5150 / III(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 2.2

प्रेषक,

प्रदीप सिंह रावत,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

Diary No. 5296
File No. 2-mb
Date 6/9/10

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

देहरादूनः दिनांकः 16 अगस्त, 2010

लोक निर्माण अनुभाग–2

विषयः– राज्य के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल क्षेत्र/कुमायूँ क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, पौड़ी/अल्मोड़ा के द्वारा विभिन्न पत्रों के माध्यम से संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये आगणनों के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न विवरण में उल्लिखित 164 कार्यो, के निर्माण पर प्रशासकीय अनुमोदन देते हुए प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रक्रियात्मक कार्यो यथा विस्तृत आगणन का गठन, वन भूमि हस्तान्तरण, भू–अधिग्रहण, यूटीलिटी शिफ्टिंग, मृदा परीक्षण, भू–वैज्ञानिक की रिपोर्ट, कन्सलटैन्सी आदि मदों के लिये टी0ए0सी0 वित्त द्वारा औचित्यपूर्ण पाई गई **धनराशि रू0 2736.01 लाख (रू0 सत्ताईस करोड़ छत्तीस लाख एक हजार मात्र) पर वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 में प्रति कार्य रू0 0.01 लाख अर्थात कुल रू0 1.64 लाख (रू0 एक लाख चौसठ हजार मात्र)** के व्यय किये जाने की **महामहिम श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–**

2– उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यो को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश सं0:– 1764/III(2)/10–17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही मोटर मार्ग के निर्माण का प्रारम्भ किया जायेगा।

3– आगणन मे उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरे शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

7– स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्यौरमेन्ट रूल्स–2008 एवं उक्त के विषय में समय–समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

8– मुंख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:– 2047/XIV–219(2006) दिनांक 30–05–2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9— स्वीकृत किये जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी अभियन्ता का होगा।

10— इस संबंध मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2010–11 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0–22–लेखाशीर्षक–5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय –04 जिला तथा अन्य सड़कें –आयोजनागत –800–अन्य व्यय –03 [illegible] –02 नया निर्माण कार्य–24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

11— यह आदेश वित्त अनुभाग–2 के अशासकीय संख्या– 369 / XXVII/(2)/2010 दिनांक: 16 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

संख्या:– 5150 (1)/ III(2)/10–18(सा0आ0)/2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1— महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2— आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4— समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तराखण्ड।
5— मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो.नि.वि., पौड़ी/अल्मोड़ा।
6— निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7— वित्त अनुभाग–2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तराखण्ड शासन।
8— समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0, उत्तराखण्ड।
9— लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तराखण्ड शासन ।
10— गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

पत्रांक 3356/199 [illegible] दि0 1–9–10
प्रतिलिपि [illegible]

अधीक्षण अभियन्ता,
प्रथम वृत्त, लोक निर्माण विभाग
अल्मोड़ा

शासनादेश सं0 5150 (1)/111(2)/10–18(प्रा0आ0)/2010 दिनांक 16 अगस्त, 2010 का संलग्नक

क्र0 सं0	कार्य का नाम	लम्बाई (कि0मी0/मी0)	प्रथम चरण हेतु अनुमोदित (लाख में)	वित्तीय वर्ष 2010–11 में व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि (लाख में)
1	जनपद अल्मोडा में विकासखण्ड भिकियासैंण के अन्तर्गत पतगाँव–चमड़खान–शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार (सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)	4.50	56.70	0.01
2	जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत बसई से अगारापुर इन्टर कॉलेज से मसोट मिलान तक मोटर मार्ग का निर्माण	4.50	56.70	0.01
3	जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत बाजखेत–कुसियाचौन –रामसिंह विचार–ढैथा किचार–बावड़ी किचार को बाजखेत –तूराचौरा मो0 मार्ग का निर्माण।	5.50	69.30	0.01
4	जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत रातखेत से झड़कोट तक मो0 मार्ग का निर्माण।	2.00	25.20	0.01
5	जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत देघाट–नागचुलाखाल रोड से शहीद गॉव बेलीपार मिलान के मोटर मार्ग का निर्माण।	1.00	12.60	0.01
6	जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र भिकियासैंण के अन्तर्गत देघाट–नागचूलाखाल से चन्थरखाड़ी–कलिधालिगुड होते हुए झीपा बैण्ड मिलान हेतु मो0 मार्ग का निर्माण।	2.50	31.50	0.01
7	जनपद अल्मोड़ा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत बकरीगाड से गोदी–मोड़णी–तल्ली बिठोली–बयेणा मोटर मार्ग का नव निर्माण	10.00	126.00	0.01
8	जनपद अल्मोडा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत रा0 राजमार्ग सं0– 87 से गैराड़ मोटर मार्ग का द्वाराहाट तक विस्तारीकरण।	6.00	75.60	0.01
9	जनपद अल्मोडा में विकासखण्ड द्वाराहाट के अन्तर्गत कफडा–फिरौली मोटर मार्ग का मल्ली गिरई तक विस्तार।	3.50	44.10	0.01
10	जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत असौं से बसकूना तक 4.00 किमी0 मोटर मार्ग +2 न0 सेतु के नव निर्माण हेतु प्रारम्भिक आगणन;	4.00 + 2 सेतु	53.20	0.01
11	जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत तल्ला भन्तोली से झाकरा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग + 1 सेतु के नव निर्माण का प्रारम्भिक आगणन।	3.00 + 1 सेतु	39.90	0.01
12	जनपद बागेश्वर में महरूड़ी/स्याकोट से पठस्यूड़ा तक 3.00 किमी0 मोटर मार्ग का प्रारम्भिक आगणन।	3.00	37.80	0.01
13	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढ़खेत से रखूण सिमल्यासू होते हुये कुण्डाधार जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	6.00	75.60	0.01
14	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत गढ़खेत–पुण्डेरी रामपुर होते हुये ल्वाली–कालेश्वर मोटर मार्ग जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण	4.00	50.40	0.01
15	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत डाडूखाल–पैठी सैनार मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
16	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत घाडियाल–[illegible](हास्पिटल) से थाप्ला मोटर मार्ग का निर्माण	2.50	31.50	0.01
17	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत धुसगली धार से गोण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण	2.00	25.20	0.01
18	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत [illegible] मोटर मार्ग से [illegible] बस्ती तक तथा स्टेट बैंक जोडधने के लिये सम्पर्क मार्ग का नव निर्माण कार्य	0.50 + 10 M	6.30	0.01
19	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर के अन्तर्गत सत्यखाल देहलचौर से ल्वाली नव निर्माण नेत्र चिकित्सालय तक डामरीकरण का कार्य	2.00	[illegible]	0.01

(9)

2.2

160	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम डाक्टरगंज में मुख्य मार्ग से बस्ती की ओर सड़क निर्माण।	0.50	0.16	0.01
16[illegible]	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– विकासनगर के अन्तर्गत हरबर्टपुर में मुख्य मार्ग से डी0आर0स्कूल से होते हुये लेहमन अस्पताल की ओर सडक निर्माण।	0.500	0.16	0.01
160	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– विकासनगर के अन्तर्गत एलनबाग में मुख्य मार्ग से लेहमन अस्पताल तक सड़क डामरीकरण।	0.500	0.16	0.01
161	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम कटटापत्थर में बाढवाला जुडडों मार्ग से नहर तक सड़क निर्माण	1.200	0.37	0.01
162	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम लांघा मुख्य मार्ग में शिशु विद्या मन्दिर तक सड़क का निर्माण	0.500	0.16	0.01
163	जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र– विकासनगर के अन्तर्गत ग्राम मार्टिन डेल चिंरजीपुर में बडी नहर से स्कूल तक सड़क निमाण	0.500	0.16	0.01
164	विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत विभिन्न 38 स्थानों में मार्गों के नव निर्माण/पुनः निर्माण एवं सुधार कार्य	18.75	3.03	0.01
	कुल योगः–		**2736.01**	**1.64**

(एक लाख चौसठ हजार मात्र)

[signature]

(प्रदीप सिंह रावत)
उप सचिव